

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निराले अनुसार

सीमान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों श्रापच पत्र, डायार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व मृत्यु पुमाण पत्र के डायार पर प्रार्थी के माता का नाम गोविन्द केसर के स्थान पर गेद केसर पालि नारायण सिंह किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त निर्णय पर
तहसीलदार, उदयपुरवाटी (मुद्दागोंडजी)

क्रमांक : राजरव/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उरुस्त किया जाना उचित है

23/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी (मुद्दागोंडजी)

1532
23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 23/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/मुद्दागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/मुद्दागोंडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरव	2075-78	375	गोविन्द केसर पालि नारायण सिंह	गेद केसर पालि नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/20

क्रमांक :- राजरव/2020/ 1213-1214

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/मुद्दागोंडजी को वास्तव पालनाथी।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी